राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 3370/2024

सपना कुमारी मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, टोंक जिला टोंक।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.11.2024
आदेश की दिनांक : 09.12.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्षः— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने पदोन्नति आदेश दिनांक 07.06.2024 (अनुलग्नक—1) को चुनौती दी है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति श्रेणी में वर्ष 2023—24 की रिक्ति के विरुद्ध कनिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया तथा उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन/आपत्ति पर विचार न किए जाने से भी व्यथित है, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, टोंक द्वारा संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर को 10.06.2024 (अनुलग्नक—2) द्वारा अग्रेषित भी किया गया। अपीलार्थी को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में कनिष्ठ सहायक के पद पर आदेश दिनांक 12.07.2020 (अनुलग्नक—3) द्वारा नियुक्त किया गया। उक्त आदेश की अनुपालन में अपीलार्थी ने दिनांक 15.07.2020 (अनुलग्नक—4) द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ढिकाला, ग्राम ढिकाला, ब्लॉक देवली, जिला टोंक में कार्यभार ग्रहण कर लिया। कनिष्ठ सहायक की अनंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 04.08.2023 (अनुलग्नक—5) द्वारा जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 673 पर अंकित था, लेकिन उसके नाम के सामने गलती से एसटी श्रेणी के बजाय एससी श्रेणी अंकित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2023—24 की रिक्ति के विरुद्ध कनिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से एक पात्रता सूची जारी की

जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 1233 पर रखा गया था जिसमें उसकी मंडलीय वरिष्ठता क्रमांक 628 और जिला वरिष्ठता सूची 76 दर्शाई गई थी लेकिन पात्रता सूची में भी अपीलार्थी की श्रेणी एसटी के बजाय एससी दर्शाई गई थी। उक्त पात्रता सूची दिनांक 25.08.2023 को प्रकाशित की गई, जिसमें दिनांक 26.08.2023 तक प्राप्त आपत्तियां दिनांक 27.08.2023 तक भेजी जा सकती हैं, इस प्रकार पात्रता सूची के खिलाफ आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 26.08.2023 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत की कि उसकी श्रेणी एसटी है, लेकिन गलत तरीके से एससी के रूप में दिखाया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.08.2023 को प्रस्तुत पात्रता सूची के विरूद्ध आपत्ति के आवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, टोंक ने दिनांक 07.03.2024 (अनुलग्नक–8) द्वारा अपीलार्थी के मामले में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी को संशोधित कर राज्य वरिष्ठता संख्या 628 तथा जिला वरिष्ठता सूची 76 दर्शाई। अपीलार्थी की श्रेणी आदेश दिनांक 07.03.2024 द्वारा सही कर दी गई थी और संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर सहित सभी संबंधित अधिकारियों को सूचना भी भेज दी गई थी और संयुक्त निदेशक ने दिनांक 07.06.2024 को पदोन्नति आदेश जारी कर दिया, लेकिन अपीलार्थी के मामले पर विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति सुनीता मीना जिनकी वरिष्ठता संख्या 633 है, को पदोन्नति आदेश में शामिल कर लिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आवेदन पर विचार नहीं किया गया है और यहां तक कि प्रत्यर्थी विभाग वर्ष 2024–25 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने जा रहे हैं और इस संबंध में आदेश दिनांक 08.10.2024 पारित कर चुके हैं, लेकिन अपीलार्थी के मामले में वर्ष 2023–24 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए समीक्षा डीपीसी आयोजित करने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर पदोन्नति आदेश दिनांक 07.06.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी के मामले पर विचार करें तथा उसे वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2023–24 की रिक्ति के विरुद्ध उस तिथि से पदोन्नत करें, जिस तिथि को समीक्षा डीपीसी द्वारा उसके कनिष्ठ को पदोन्नत किया गया था तथा अपीलार्थी को कनिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2023–24 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति आदेश जारी करें, जिस तिथि से उसके कनिष्ठ को सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नत किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कनिष्ठ सहायक का पद जिला स्तरीय पद है तथा वरिष्ठ सहायक का पद मण्डल स्तरीय पद है। कनिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति जिला स्तर पर निर्मित वरिष्ठता सूची के आधार पर मण्डल स्तर पर संधारित मिश्रित वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है। वर्ष 2023–24 में पदोन्नति आधार दिनांक 01.04.2023 को वरिष्ठता सूची में उचित नामांकन होना आवश्यक है। दिनांक 10.06.2024 के आधार पर अपीलार्थी कार्मिक आगामी डीपीसी वर्ष में पदोन्नति की पात्रता धारित करती है जिस पर आवश्यक विचार कर लिया जावेगा। उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची पर भी आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, अपीलार्थी कार्मिक से अपेक्षित था कि वह वरिष्ठता सूची के संबंध में उचित आपत्ति दर्ज करवाती परन्तु अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठता सूची के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। पात्रता सूची दिनांक 25.08.2023 में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि आपत्तियां दिनांक 27.08.2023 तक प्रत्यर्थी संख्या 3 के कार्यालय को प्रस्तुत की जानी है परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आपत्ति दिनांक 26.08.2023 को किस माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रस्तुत की गई ना ही उक्त दस्तावेज पर किसी संबंधित कार्यालय की पावती (Receipt) उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी हेतु आधार दिनांक 01.04.2023 रहेगी। उक्त डीपीसी वर्ष की आधार दिनांक 01.04.2023 को अपीलार्थी की वरिष्ठता सूची में आवश्यक संशोधन दिनांक 07.06.2024 को हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी दिनांक 01.04.2023 को पदोन्नति की पात्रता धारित नहीं करती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने प्रत्यर्थी विभाग एवं अपीलार्थी को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने पदोन्नति आदेश दिनांक 07.06.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति श्रेणी में वर्ष 2023–24 की रिक्ति के विरुद्ध कनिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया तथा उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि कनिष्ठ सहायक का पद जिला स्तरीय पद है तथा वरिष्ठ सहायक का पद मण्डल स्तरीय पद है। कनिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति जिला स्तर पर निर्मित वरिष्ठता सूची के आधार पर मण्डल स्तर पर संधारित मिश्रित वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है। वर्ष 2023–24 में पदोन्नति आधार दिनांक 01.04.2023 को वरिष्ठता सूची में उचित नामांकन होना आवश्यक है। दिनांक 10.06.2024 के आधार पर

अपीलार्थी कार्मिक आगामी डीपीसी वर्ष में पदोन्नति की पात्रता धारित करती है जिस पर आवश्यक विचार कर लिया जावेगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभय पक्ष के तर्कों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अनु0 जनजाति सवंर्ग से है एवं वरिष्ठता सूची एवं पात्रता सूची में उसे अनु0 जाति संवर्ग का अंकित करने से उससे कनिष्ठ अनु0 जनजाति का कर्मचारी वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत हो गया एवं अपीलार्थी गलत जाति संवर्ग अंकित होने से वंचित रह गई जबकि उसने नियत समयावधि में संशोधन हेतु आपत्ति भी प्रस्तुत कर दी थी। बहस के दौरान यह अवगत कराया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु वरिष्ठ सहायक की रिव्यू डीपीसी की जा रही है उसमें अपीलार्थी के नाम पर विचार करने हेतु निवेदन किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि जारी वरिष्ठता सूची एवं पात्रता सूची वर्ष 2023–24 में अपीलार्थी के सम्मुख अंकित जाति संवर्ग में संशोधित कर अनुसूचित जनजाति अंकित किया जावे एवं अपीलार्थी के वरिष्ठता के दृष्टिगत वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2023–2024 की रिक्तियों के विरूद्ध विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली रिव्यू डीपीसी में उसके नाम पर विचार किया जावे एवं अन्यथा पात्र पाये जाने पर वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति उस तिथी से की जावे जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ अनुसूचित जनाति संवर्ग के कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के जाति संवर्ग के संबंध में वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में आवश्यक संशोधन से पहले रिव्यू डीपीसी नहीं करे अथवा विकल्प में एक पद वरिष्ठ सहायक का वर्ष 2023–24 की रिक्ति के विरूद्ध अपीलार्थी के लिए रिक्त रखा जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य